



नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान)

नॉलेज सिटी, सेक्टर-81, एस.ए.एस. नगर, मोहाली-140306, पंजाब

INSTITUTE OF NANO SCIENCE & TECHNOLOGY

(An Autonomous Research Institute of the Department of Science and Technology, Government of India)

Knowledge City, Sector-81, SAS Nagar, Mohali-140306, Punjab

क्र./No. 3(2)/2022-INST

दिनांक/Dated: 02.05.2022

शुद्धिपत्र / CORRIGENDUM

विषय: आवेदन की अंतिम तिथि का विस्तार।

Subject: Extension of closing date of applications.

संदर्भ: आई.एन.एस.टी. का विज्ञापन संख्या 3(2)/2022-आईएनएसटी दिनांक 16.03.2022,

संस्थान में वैज्ञानिक-जी और वैज्ञानिक-बी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना

Reference: INST's Advertisement No. 3(2)/2022-INST dated 16.03.2022 inviting applications for the post(s) of Scientist-G and Scientist-B in the Institute of Nano Science and Technology, Mohali.

उपरोक्त संदर्भित विज्ञापन के आंशिक संशोधन में वैज्ञानिक-जी और वैज्ञानिक-बी के पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17.05.2022 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01.06.2022 होगी।

विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें, जिनमें आयु निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि अर्थात् 02.05.2022 शामिल है, अपरिवर्तित रहेंगी।

In partial modification of above referred Advertisement, the last date of receipt of applications for the post(s) of Scientist-G and Scientist-B has been further extended till 17.05.2022. However, the last date of receipt of applications from candidates in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep will be 01.06.2022.

All other conditions of the advertisement, including crucial date of determining the age i.e. 02.05.2022, shall remain unchanged.

(मुख्य वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारी / Chief Finance & Administrative Officer)